

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ओखलकाण्डा, नैनीताल

मैनुअल-1

संस्थान का उद्देश्य : -

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी के अन्तर्गत संचालित विभिन्न राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना एवं शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना में प्रशिक्षण दिया जाता है।

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वॉर टाईम टैक्नीशियन स्कीम के अन्तर्गत कुशल कारीगरों की पूर्ति हेतु आरम्भ शिल्पकार प्रशिक्षण योजना का संचालन द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात सैनिकों के पुर्नवास के लिए किया जाता रहा। शिल्पकार योजना आजादी के उपरान्त विस्थापितों के पुर्नवास हेतु संचालित की गयी। कालान्तर में यह योजना सैनिकों एवं विस्थापितों के अतिरिक्त देश की आवश्यकता अनुसार युवकों को प्रशिक्षित करने के लिये भी उपयोगी पाई गई। 1950 में इस योजना को वयस्क नागरिक प्रशिक्षण योजना के रूप में संचालित किया गया। शिल्पकार प्रशिक्षण योजना को देश के बेरोजगार एवं अप्रशिक्षित जनमानस को कुशल कारीगरों के रूप में परिवर्तित करने में अत्यन्त लाभकारी सिद्ध होने पर केन्द्र सरकार ने 1956 से इस योजना को संचालित करने का दायित्व राज्य सरकारों को सौंप दिया तथा विभिन्न राज्यों में प्रशिक्षण की एक रूपता तथा निरन्तर नई उच्च नकनीकी एवं उपयोगी बनाये जाने हेतु राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद का गठन किया। इस योजना को संचालित करने हेतु विभिन्न राज्यों में राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषदों का भी प्राविधान किया गया है। उत्तराखण्ड में 115 एवं जनपद नैनीताल में 09 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (यु0) हल्द्वानी (महिला) हल्द्वानी, बेतालघाट, टाण्डी, ओखलकाण्डा, ढोकाने, म0 भवाली, भीमताल, एवं रामनगर के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना में प्रशिक्षण दिया जाता है।

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ओखलकाण्डा में निम्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

1- शिल्पकार प्रशिक्षण योजना :- इस योजना के अधीन प्रदेश में स्थापित 73 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्वीकृत हैं। इनमें भारत सरकार के रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय की राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा निर्धारित पाठक्रमानुसार विभिन्न इंजीनियरिंग एवं नान इंजीनियरिंग व्यवसायों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण की समाप्ति पर भारत सरकार द्वारा अखिल भारतीय वार्षिक व्यवसायिक परीक्षा प्रतिवर्ष जुलाई में आयोजित की जाती है। उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थियों को भारत सरकार द्वारा ही राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाते हैं, जो पूरे भारत वर्ष एवं अन्य देशों में भी मान्यता प्राप्त हैं।

कृत एवं कर्तव्य :-

उक्त दोनों व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित प्रशिक्षार्थी निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में सेवायोजन के साथ स्वतः रोजगार के लिये भी सक्षम हो जाता है। उत्तरांचल में रोजगार की दृष्टि से व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हो रहा है।

संस्थान का मिशन/विजन :

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय के अन्तर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का मुख्य कार्य शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (क्राफ्टसमैन ट्रेनिंग स्कीम) एवं शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना (एप्रेन्टिस ट्रेनिंग स्कीम) को उत्तरांचल में कार्यान्वयन करना है एवं ऐसे कुशल कारीगर तैयार करना है जो उत्तरांचल में स्थापित हो रहे उद्योगो एवं स्वतः रोजगार की दृष्टि से सक्षम हो सकें।

संस्थान का संक्षिप्त इतिहास और इसके गठन का प्रसंग :

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (यु0) हल्द्वानी (महिला) हल्द्वानी, बेतालघाट, टाण्डी, ओखलकाण्डा, की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गयी थी। 9 नवम्बर, 2000 को उत्तरांचल गठन के साथ ही हल्द्वानी में प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय की स्थापना हुई।